रूसा अन्तर्गत अनुदान राशि की स्वीकृति के संबंध में अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक दिनांक 16.10.2015 का कार्यवाही विवरण

रूसा अन्तर्गत अनुदान की राशि के वितरण हेतु प्रदेश के अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक दिनांक 16.10.2015 को दोपहर 02.00 बजे महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर में डॉ बी.एल.अग्रवाल, प्रमुख सचिव सह आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभागीय अधिकारी एवं बस्तर तथा सरगुजा विश्वविद्यालय के कुलसचिव भी उपस्थित रहे। उपस्थित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट "अ" पर है।

प्रमुख सचिव सह आयुक्त, द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। बैठक में मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की गई :–

रूसा अंतर्गत आबंटनः–

प्रमुख सचिव महोदय द्वारा जानकारी दी गई की राज्य के 27 अग्रणी महाविद्यालयों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रथम चरण में 2 करोड़ रू की राशि स्वीकृत की गई है। जिसमें से एक करोड़ रू. राज्यांश तथा एक करोड़ रूपये केन्द्रांश है। इसमें से प्रथम किस्त जारी की जा रही है। इसी तरह बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर एवं सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर को रू. 2.5 करोड़ की राशि जारी की जा रही है।

कुल रू. दो करोड में से प्रथमतः 27 महाविद्यालयों को प्रति महाविद्यालय रू. 24,98,545/– लाख आबंटित किया गया है । राशि का व्यय रूसा गाईडलाईन का पालन करते हुए किये जाने की जवाबदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिये। इसी प्रकार विश्वविद्यालय को दी गई राशि के व्यय हेतु जवाबदारी कुलपति/कुलसचिव की होगी। जिलास्तर पर रूसा अंतर्गत प्राप्त राशि के व्यय हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समति रहेगी जिसमें एन.आई.सी. के जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य तथा अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य सदस्य होंगे तथा समिति में कलेक्टर के द्वारा आवश्यकतानुसार अन्य किसी अधिकारी को भी संयोजित किया जा सकेगा। रूसा अंतर्गत राशि का व्यय उक्त समिति के अनुमोदन से होगा जिससे व्यय में पारदर्शिता बनी रहे एवं नियमों का कड़ाई से पालन हो सके।

नैक मूल्यांकनः–

प्रमुख सचिव द्वारा महाविद्यालयों के नैक मूल्यांकन के संबंध में चर्चा की गई तथा सुझाव दिया गया कि जिन महाविद्यालयों का नैक से ग्रेडिंग नहीं हुआ है, वे नैक से मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन कराएं। सभी अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा अपने जिले के महाविद्यालयों के नैक मूल्यांकन के संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया।

- प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिया गया कि अग्रणी महाविद्यालय का नैक मूल्यांकन यदि जिले के अन्य महाविद्यालय से कम होगा तो अन्य महाविद्यालय को अग्रणी महाविद्यालय बनाये जाने पर विचार किया जाएगा। साथ ही जिन अग्रणी महाविद्यालयों के द्वारा अच्छी तरह से कार्य नहीं किया जा रहा है, उनके जिले के अन्य महाविद्यालय को अग्रणी महाविद्यालय बनाये जाने पर विचार किया जाएगा।
- शासकीय महाविद्यालय गरियाबंद के प्राचार्य ने अवगत कराया कि नैक टीम द्वारा भवन उपलब्ध नहीं होने संबंधी आपत्ति लगाई गई है क्योंकि वर्तमान में महाविद्यालय के भवन में कलेक्टर कार्यालय

संचालित है। प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि शास. महाविद्यालय गरियाबंद के भवन को रिक्त करने के संबंध में प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग एवं कलेक्टर को पत्र लिखा जाए।

- नैक मूल्यांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में ई.राघवेन्द्र विज्ञान महाविद्यालय, बिलासपुर के डॉ. बी.के. श्रीवास्तव द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई । निर्देशित किया गया कि डॉ श्रीवास्तव द्वारा नैक मूल्यांकन हेतु एक गाइड लाइन बनाकर सरकुलेट किया जाये।

महाविद्यालय समिति में नामांकनः–

प्राचार्यों द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निरीक्षण/ नैक टीम के मूल्यांकन के दौरान समिति में शासकीय प्रतिनिधि की नियुक्ति में काफी विलम्ब होता है। निर्देशित किया गया कि यदि शासकीय प्रतिनिधि के कारण कार्य में विलम्ब होता है तो क्षेत्रीय अपर संचालक को बुला लिया जाए। जहां क्षेत्रीय अपर संचालक नहीं हैं तो वहां संचालनालय के अपर संचालक को बुलाया जा सकता है।

माननीय मुख्यमंत्री जी की विभागीय समीक्षा बैठक में लिये गये निणर्यों के संबंध में प्रमुख सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया :–

महाविद्यालय में बाउण्ड्रीवालः–

महाविद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल के संबंध में निर्देश दिया गया कि इस हेतु प्राचार्य अपने क्षेत्र के वन विभाग के अधिकारी एवं कलेक्टर को पत्र लिखें। उनके द्वारा तार फेंसिग एवं प्लांटेशन कर महाविद्यालय परिसर को चारों ओर से सुरक्षित किया जाएगा एवं इस हेतु व्यय केम्पा फंड से किया जावेगा। केवल कन्या महाविद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल निर्माण पर विचार किया जा सकता है।

महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर दर्जाः–

प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में स्थित अग्रणी महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है तथा महाविद्यालय में स्नातक प्राचार्य के पद का उन्नयन कर स्नातकोत्तर प्राचार्य का पद स्वीकृत किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रो में जिन महाविद्यालयों में दो या तीन विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं संचालित हैं, उन्हें स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रूप में उन्नयन किया जाएगा। साथ ही जिन महाविद्यालयों में केवल साइंस या कला संकाय हैं, उनमें बहुसंकाय प्रारंभ किया जावेगा। इस हेतु पृथक से आदेश जारी किया जावेगा। इसकी प्रारंभिक तैयारियां कर ली जावें

रिपयेरिंग वर्कः–

रिपेयरिंग वर्क हेतु प्राचार्यों को रू. दो लाख के वित्तीय अधिकार दिया जाना विचाराधीन हैं जिससे वे लो. नि.वि. के अतिरिक्त अन्य एजेंसी से भी कार्य करा सकते हैं। इस हेतु पृथ्क से आदेश जारी किया जावेगा।

पंचमुखी विकास योजना

पंचमुखी विकास योजना के तहत प्रत्येक महाविद्यालय में 5 मूलभूत सुविधाओं पर जोर दिया जाना हैः–

1. शौचालय की स्वच्छता, महिला एवं पुरूष के लिए पृथक–पृथक शौचालय का निर्माण,
2. स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था (स्टाफ एवं विद्यार्थियों के लिए),
3. महाविद्यालया में वाईफाई की सुविधा,
4. महाविद्यालय भवन का रंगरोगन,
5. अकादमिक ऑडिट

उपरोक्तानुसार सभी महाविद्यालयों में आवश्यक तैयारियां प्रारंभ की जावें। विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से जारी किये जावेंगे। महाविद्यालय के प्राचार्यों का मूल्यांकन/रैंकिंग भी इसी आधार पर किया जावेगा।

मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजनाः–

इस योजना के तहत छ0ग0 के युवा जिनका चयन अखिल भारतीय स्तर पर होगा, उन्हें 1 लाख रू. की राशि से पुरस्कृत किया जाना विचाराधीन है तथा अधिकतम 10 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री युवा जीवन कौशल योजनाः–

इस योजना के तहत विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा, व्यवहार कौशल तथा कम्प्यूटर के ज्ञान की जानकारी प्रदाय की जाएगी। इसमें तीनों विषयों की 100 घंटे की कक्षाएं ली जाएगी। । इसके लिए जिला स्तर पर टेंडर बुलाया जाएगा, इसमें जिला कलेक्टर की सहभागिता रहेगी। इसके लिए पृथक से गाइड लाइन भेजी जा रही है।

अन्य निर्देशः

- प्रत्येक जिले में स्थित समस्त महाविद्यालयों को एक संकुल की तरह कार्य करना चाहिए। यदि किसी महाविद्यालय में किसी विषय विशेष का अध्यापक न हो तो निकटतम महाविद्यालय/निकटतम जिले के अन्य महाविद्यालय के उस विषय के अध्यापक को अध्यापन कार्य हेतु 1–2 दिन के लिए बुलाया जा सकता है। यह कार्य जिले के अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से संपादित किया जाएगा।
- रूसा मद में प्राप्त अनुदान राशि को खर्च करने के संबंध में विस्तृत प्लान तैयार करें तथा अपनी कमियों को दूर करते हुए NAAC मूल्यांकन करावें। इसकी जानकारी "**फोटो आफ रूसा वर्क**" के नाम से महाविद्यालय की वेबसाईट में भी अपलोड किया जाए।
- रूसा से प्राप्त राशि हेतु पृथक से संयुक्त खाता केनरा बैंक में खोला जाए एवं जो भी व्यय किया जाए उसका हिसाब एवं अभिलेख रखें तथा अनावश्यक खरीदी से बचें।
- सभी महाविद्यालयों को वाई–फाई किया जाए। प्रथम चरण में ग्रन्थालय, प्रशासनिक भवन, रीडिंग रूम, केंटीन, हॉस्टल, आदि में प्राथमिकता के आधार पर वाई–फाई किया जाए।
- जिन महाविद्यालयों को स्थायी सम्बद्धता नहीं है, इस हेतु संबंधित विश्वविद्यालयों को स्थायी संबंद्धता हेतु पत्र लिखा जाए।
- प्रत्येक शासकीय महाविद्यालय में प्राचार्य द्वारा वरिष्ठ प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक को उप प्राचार्य का दायित्व दिया जाए, जो अध्यापन कार्य के साथ महाविद्यालय के अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य भी करेंगे। इसमें कोई वित्तीय भार नहीं आएगा, साथही प्राचार्य की अनुपस्थिति में महाविद्यालय सुचारू रूप से संचालित होता रहेगा।
- जो महाविद्यालय 50–60 वर्षों से संचालित हैं तथा जिनकी हालत जर्जर हो गई है, ऐसे 40 महाविद्यालयों को राज्य शासन द्वारा रू. एक–एक करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि का उपयोग महाविद्यालय के संधारण एवं अधोसंरचना कार्य हेतु किया जा सकता है। यह कार्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से ही कराया जाना है। इस संबंध में महाविद्यालय द्वारा

आवश्यकतानुसार लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर के माध्यम से ड्राईंग एवं स्टीमेट तैयार कर तत्काल अपर संचालक (एस) को भेजा जाए।

- अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य अपने जिले के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों का अकादमिक तथा हाइजेनिक ऑडिट करेंगे। इस हेतु अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य 20–25 बिन्दु तैयार कर टाइम टेबल बनाकर महाविद्यालयों का निरीक्षण कर आडिट करें। इससे एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तहत हमारे द्वारा जिला स्तर पर रैंकिंग की जा सकती है।
- जिन महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर संचालित विषयों में छात्र संख्या नगण्य है, उन विषयों को बंद करने का प्रस्ताव दिया जाए तथा जिन विषयों की आवश्यकता है, उन्हें प्रारंभ करने का प्रस्ताव दिया जाए।
- जिन महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ किया जाना है, वे सभी अपर संचालक (एस) को प्रस्ताव भेजें ताकि उसे आगामी बजट में शामिल किया जा सके।

अंत में प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

(प्रमुख सचिव सह आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक (व्ही)
उच्च शिक्षा संचालनालय
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर छ0ग0

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मान0 मुख्यमंत्रीजी, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
2. विशेष सहायक, मान0 मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नया रायपुर, की ओर सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
5. कुलसचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, छ0ग0।
6. समस्त क्षेत्रीय अपर संचालक।
7. प्राचार्य, समस्त अग्रणी महाविद्यालय, छ0ग0।

अपर संचालक (व्ही)
उच्च शिक्षा संचालनालय
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

1 श्री भुवनेश यादव, संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर
2 डॉ. आर.बी. सुब्रामनयिन, अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर
3 डॉ. डी.एन. वर्मा, अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर
4 डॉ. के.एन. बापट, अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर
5 डॉ.ए.के. पांडे विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, रायपुर
6 कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर
7 कुलसचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
8 डॉ. पी.सी. चौबे, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर
9 डॉ. किरण गजपाल, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर
10 श्री आर.के.शुक्ला, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर
11 श्री तिलक सेनगुप्ता, उप संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर
12 प्राचार्य,शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय रायपुर
13 प्राचार्य,शास. पी.जी.डी.के. महाविद्यालय, बलौदाबाजार
14 प्राचार्य, शास. वीर सरेन्द्रसाय महाविद्यालय गरियाबंद
15 प्राचार्य,महाप्रभु वल्लभाचार्य पी.जी. महाविद्यालय महासमुन्द
16 प्राचार्य, छोटेलाल शास. पी.जी. महाविद्यालयधमतरी
17 प्राचार्य,शास. वी.वाय.टी. पी.जी. महाविद्यालय दुर्ग
18 प्राचार्य,डॉ. घनश्याम सिंह गुप्त शास.पी.जी. महाविद्यालय बालोद
19 प्राचार्य,शास. जे.एल.एन. पी.जी. महाविद्यालय बेमेतरा
20 प्राचार्य, शास. पी.जी. दिग्विजय महाविद्यालयराजनांदगांव
21 प्राचार्य,आचार्य पंतश्री गंधमुनि नाम साहेब शास. पी.जी. महाविद्यालय कवर्धा
22 प्राचार्य,भानुप्रताप देव शास. पी.जी. महाविद्यालय कांकेर
23 प्राचार्य,शास. काकातीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
24 प्राचार्य,शास. गुंडाधुर महाविद्यालय कोण्डागांव
25 प्राचार्य,शास. स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय नारायणपुर
26 प्राचार्य,शास. दंतेश्वरी पी.जी. महाविद्यालय दंतेवाड़ा
27 प्राचार्य,.शास. शहीद बापूराव महाविद्यालय सुकमा
28 प्राचार्य,शास शहीद वेंकटराव महाविद्यालय बीजापुर
29 प्राचार्य,शा. जमुना प्रसाद वर्मा पी.जी. कला/वा. महाविद्यालय बिलासपुर
30 प्राचार्य,डॉ. ज्वाला प्रसाद सिंह शास. महाविद्यालय मुंगेली
31 प्राचार्य,शास.टी.सी.एल महाविद्यालय जांजगीर
32 प्राचार्य,शास. इंजी. विश्वेसरैया पी.जी. महाविद्यालय कोरबा
33 प्राचार्य,शास.पी.जी. किरोड़ीमल महाविद्यालय रायगढ़
34 प्राचार्य,शास. रामभजन राय एन.ई.एस. महाविद्यालय जशपुर
35 प्राचार्य,राजीवगांधी शास. पी.जी. महाविद्यालय अंबिकापुर
36 प्राचार्य,शास. रेवतीरमण मिश्र महाविद्यालय सूरजपुर
37 प्राचार्य,शास. महाविद्यालय, रामानुजगंज